



बिहार सरकार
(पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग)
कार्यालय : प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार
(कैम्पा एवं वन संरक्षण संभाग)

तृतीय तल, अरण्य भवन, शहीद पीर अली खाँ मार्ग, पटना-800 014;

संख्या- FC/78/2021-721

प्रेषक,

राकेश कुमार, भा०व०से०

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
-सह-नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

सेवा में,

प्रधान सचिव,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
बिहार सरकार, पटना।

पटना 14, दिनांक- 12/08/2021

विषय- श्री अरुण कुमार द्वारा छपरा जिलान्तर्गत अरियापुर मौजा के खाता संख्या-177, 262, खेसरा संख्या-953, 954, थाना संख्या-46, अंचल-सोनपुर में सोनपुर-दहियारा-रेवाघाट पथ के किनारे BPCL का रिटेल आउटलेट स्थापित करने के क्रम में पहुँच पथ निर्माण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 0.02025 हे. वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव पर सैद्धांतिक स्वीकृति प्राप्त करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक संदर्भ में कहना है कि छपरा जिलान्तर्गत अरियापुर मौजा के खाता संख्या-177, 262, खेसरा संख्या-953, 954, थाना संख्या-46, अंचल-सोनपुर में सोनपुर-दहियारा-रेवाघाट पथ के किनारे BPCL का रिटेल आउटलेट स्थापित करने के क्रम में पहुँच पथ निर्माण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 0.02025 हे. वन भूमि अपयोजन हेतु श्री अरुण कुमार, पिता-श्री सुरज देव प्रसाद, ग्राम-हाथसरगंज, नाका संख्या-03 के पास, पोस्ट-हाजीपुर, जिला-वैशाली का प्रस्ताव जाँचोपरांत वन संरक्षक, सीवान अंचल, सीवान के पत्रांक 1011, दिनांक 30.06.2021 द्वारा इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है।

2. विषयांकित पथ, पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार सरकार की अधिसूचना संख्या-485ई., दिनांक 15.04.1994 द्वारा "सुरक्षित वन" के रूप में अधिसूचित है तथा भूमि का स्वामित्व, पथ निर्माण विभाग का है। रिटेल आउटलेट में जाने वाले पथ (Entry) तथा निकलने वाले पथ (Exit) की माप सरकार द्वारा निर्धारित मापदंड तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार के क्षेत्रीय कार्यालय, भुवनेश्वर में इस विषय पर बनी सहमति जो पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार सरकार को इस कार्यालय के ज्ञापांक FC- 106 दिनांक 19.03.2013 द्वारा संसूचित किया गया है, के अधीन है।

इस प्रकार प्रवेश एवं निकास के रास्ते के लिये कुल 0.02025 हेक्टेयर वन भूमि का अपयोजन प्रस्तावित है।

3. अपयोजित होने वाली भूमि का GEO Referenced Map एवं Kml File की सॉफ्ट कॉपी अर्थात् सी०डी० प्रस्ताव के साथ संलग्न है। वन प्रमंडल पदाधिकारी, सारण वन प्रमंडल, छपरा द्वारा प्रमाणित टोपोशीट नक्शा इस पत्र के साथ संलग्न है।

4. वन प्रमंडल पदाधिकारी, सारण वन प्रमंडल, छपरा के प्रपत्र-II में अंकित किया गया है प्रस्ताव स्थल पर वृक्ष उपलब्ध नहीं है। इस प्रकार परियोजना निर्माण के क्रम में वृक्षों का पातन नहीं किया जाना है वन प्रमंडल पदाधिकारी, सारण वन प्रमंडल, छपरा द्वारा वानस्पतिक घनत्व 0 (शून्य) अंकित किया गया है।

6. इस रिटेल आउटलेट क्षेत्र के आस-पास कोई राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्यप्राणी अभ्यारण्य नहीं है।

7. वन प्रमंडल पदाधिकारी, सारण वन प्रमंडल, छपरा के प्रपत्र-II में अंकित किया गया है कि प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा प्रस्तावित स्थल पर वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन नहीं किया गया है।

उक्त अपयोजन प्रस्ताव पर संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी एवं वन संरक्षक की अनुशंसा प्राप्त है।

वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश की कंडिका 2.5 (II) के आलोक में निम्नांकित शर्तों के साथ प्रस्ताव की अनुशंसा की जा सकती है—

- (i) भूमि का वैधानिक स्वरूप यथावत् रहेगा।
- (ii) 0.02025 हे० वन भूमि के लिये नेट प्रेजेन्ट वैल्यू (NPV) के मद में रु० 6.26 लाख प्रति हे० के दर से रु० 12,677/- (बारह हजार छः सौ सतहत्तर रुपये मात्र) प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार के पक्ष में जमा कराया जायेगा।
- (iii) हरितावरण को बनाये रखने के लिये 100 (एक सौ) वृक्षों के रोपण एवं 10 वर्षीय सम्पोषण हेतु प्राक्कलन की राशि को प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), बिहार के कार्यालय आदेश संख्या-03, दिनांक 01.11.2017 द्वारा निर्धारित दर के अनुसार अद्यतन मजदूरी दर पर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार के पक्ष में जमा कराया जायेगा।
- (iv) भारत सरकार के पत्र संख्या 11-29/2004 दिनांक 15.07.2004 द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश के अनुसार उक्त भूभाग का Commercial उपयोग (भवन बनाकर भी) नहीं किया जायेगा।
- (v) भारत सरकार के पत्र संख्या 11-29/2004 दिनांक 15.07.2004 द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश के अनुरूप प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा प्रवेश/निकास छोड़कर शेष भाग में हरित पट्टी तैयार किया जाना अनिवार्य होगा। साथ ही रिटेल आउटलेट की परिसीमा में 1-1.5 मीटर की दूरी पर पौधारोपण करना होगा एवं भारत सरकार के पत्रांक 5-3/2007 दिनांक 18.03.2010 द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश के अनुरूप प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा प्रवेश निकास छोड़कर प्रतिष्ठान के पूरे परिसीमा में 1-1.5 मीटर की दूरी पर पौधारोपण कर हरित पट्टी तैयार किया जाना अनिवार्य होगा। हरित पट्टी परिसर की चहारदीवारी से 1.5 मीटर हटकर तैयार की जायेगी साथ ही प्रवेश एवं निकास को छोड़कर रिटेल आउटलेट के आगे के हिस्से में Shrubby या Ornamental पौधों का रोपण किया जायेगा।

प्रस्ताव की दो प्रतियाँ अनुलग्नक के साथ अग्रेतर कार्रवाई हेतु इस पत्र के साथ संलग्न भेजी जा रही है। उक्त प्रस्ताव पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार का अनुमोदन प्राप्त है।

अतः अनुरोध है कि विषयगत प्रस्ताव पर भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय राँची से सैद्धान्तिक स्वीकृति (Stage- I Approval) प्राप्त करने हेतु अग्रेतर कार्रवाई की जा सकती है।

अनु०—यथोक्त।

विश्वासभाजन,

ह०/—

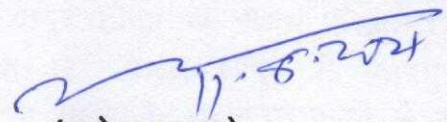
(राकेश कुमार)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
—सह—नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

ज्ञापांक— FC/78/2021- 721

दिनांक— 12/08/2021

प्रतिलिपि : श्री अरुण कुमार, पिता—श्री सुरज देव प्रसाद, ग्राम—हाथसरगंज, नाका संख्या—03 के पास, पोस्ट—हाजीपुर, जिला—वैशाली, पिन—844101 को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



(राकेश कुमार)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
—सह—नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।